हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

शिवाराम के कायम मुकाम बनाम जुगताराम के कायम मूकाम

धारा 88.53

13/12/2022

राजस्व वाद संख्या– 46/2016, अनवान शिवराम के का.मु. तेजाराम वगैरा बनाम जुगताराम के का.मु. रामचन्द्र वगैरा अर्न्तगत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

पत्रावली आज पेश हुई । वाद में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिशल हैं । राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण डिकी प्राप्त करना चाहते हैं जो कि उक्त राजीनामा निम्न अनुसार हैं :–

01.यह हैं कि उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय में वास्ते घोषणा खातेदारी एवं कृषि जोत के विभाजन करने हेतु पेश किया गया जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं । 02.यह हैं कि वाद में वर्णित विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम झंवर, तहसील लूणी व ग्राम बुझावड़ तहसील लूणी में स्थित हैं तथा वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी हैं जिस बाबत् राजस्व रेकर्ड पत्रावली पर पेश किये जा चुके हैं । विवादग्रस्त ग्राम झंवर में स्थित कृषि भूमि पूर्व में अजीया बेटा बिरदा भील के नाम से दर्ज थी व ग्राम बुझावड़ की विवादग्रस्त कृषि भूमि मुस्मात रती बेवा बिरदा के नाम से दर्ज थी वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त अजीया व रती के वारिसान हैं । अजीया पुत्र बिरदा के दो पुत्र शिवराम व जुगताराम हुए जिन दोनो का स्वर्गवास हो चुका हैं । शिवराम के वारिसान इस वाद में वादीगण हैं तथा जुगताराम के वारिसान प्रतिवादीगण हैं । इस प्रकार से पक्षकारान मूल रूप से एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा आपसी समझाईस से इस विवादग्रस्त कृषि भूमियों के विवाद का निस्तारण चाहते हैं तथा पक्षकारान ने यह तय किया हैं कि वादग्रस्त चारों खसरान की सम्पूर्ण कृषि भूमि में से ग्राम झॅवर, तहसील लूणी के खसरा संख्या 103 कुल रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा एवं ग्राम झॅवर, तहसील लूणी के खसरा संख्या 102 में से रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा यानि दोनो खसरान का कुल रकबा 40 बीघा कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित कर दिया जावें तो प्रतिवादीगण को एतराज नहीं हैं तथा ग्राम झंवर की शेष भूमि एवं गांव बुझावड़ की सम्पूर्ण भूमि यथावत प्रतिवादीगण के हिस्से में ही रहेगी । इस राजीनामे से से वादीगण एवं प्रतिवादीगण भविष्य में किसी प्रकार से कोई उजर एतराज नहीं करेंगे एवं इस राजीनामें से हमेशा पाबंद रहेंगे । अंत में निवेदन किया कि इस वाद को माफिक राजीनामा निर्णित करते हुए डिकी किया जावें ।

चूंकी वादीगण एवं प्रतिवादीगण माफिक राजीनामा वाद को निर्णित करवाना चाहते हैं । अतः न्यायहित में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता हैं तथा आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम झॅवर, तहसील झॅवर के खसरा संख्या 103 में से रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा, एवं ग्राम झॅवर, तहसील झॅवर के खसरा संख्या 102 में से रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा यानि दोनो खसरान की कृषि भूमियों में से कुल रकबा 40 बीघा के खातेदार, काश्तकार वादीगण को घोषित किये जाते हैं । तहसीलदार झॅवर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें । वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उखण्ड अधिकारी, लूणी ।

पिठासीन अधिकारी

वाद संख्या :– 46 / 2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
...त्र श्री अजीया के कायम मुकाम वगैरा		जुगताराम पुत्र श्री अजीया के कायम मुकाम रामचन्द्र वगैरा ।

दावा बाबत् घोषणा एवं बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, मुकद्धमा नं0 46/2016 यह आज मुकद्धमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि:–

अतः आदेश हैं कि न्यायहित में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता हैं तथा आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम झॅवर, तहसील झॅवर के खसरा संख्या 103 में से रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा, एवं ग्राम झॅवर, तहसील झॅवर के खसरा संख्या 102 में से रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा यानि दोनो खसरान की कृषि भूमियों में से कुल रकबा 40 बीघा के खातेदार, काश्तकार वादीगण को घोषित किये जाते हैं । तहसीलदार झॅवर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें । वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा इस आदेश का अभिन्न [redacted] रहेगा ।

नीज.............................मुबलिक...बाबत्................................. खर्चा इस मुकद्धमें के मय सूद व वगैरह.............................. फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक .... को अदा करें ।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहम अदालत आज दिनांक 13/12/2022 को जारी की गयी ।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

मुद्धाई	रू.	मुद्धायलाह **लूणी**	रू
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प	
वकालतनामा		वकालतनामा	
स्टाम्प वजह सबूत		स्टाम्प वजह सबूत	
महनताना वकील		महनताना वकील	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	
[redacted]न		मीजान	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

लूणी

...प्रमाणित प्रतिलिपि

Scanned by CamScanner